



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-13052026-272521
CG-DL-E-13052026-272521

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2333]

नई दिल्ली, मंगलवार, मई 12, 2026/वैशाख 22, 1948

No. 2333]

NEW DELHI, TUESDAY, MAY 12, 2026/VAISAKHA 22, 1948

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 मई, 2026

का.आ. 2425(अ).— केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारतसरकार के राजमार्ग मंत्रालय, सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग की अधिसूचना संख्याका.आ. 1064(अ), तारीख 27.02.2026 जो भारत के राजपत्र,असाधारण, भाग 2, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा मध्य प्रदेश राज्य के विदिशा जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH-346 के कि.मी. 0+000 से कि.मी. 87+ 900 तक (झरखेड़ा बैरसिया से विदिशा मार्ग) (तहसील - विदिशा) के लिए भूखण्ड के निर्माण, (चार लेन का बनाने /चौड़ा करने) अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख "13.03.2026" को "द टाइम्स ऑफ़ इंडिया" और "नई दुनिया" दोनों में प्रकाशित किया गया था ;

और सक्षम प्राधिकारी को किसी व्यक्ति से कोई आक्षेप प्राप्त नहीं हुए ;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी ।

अनुसूची

मध्य प्रदेश राज्य के विदिशा जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH-346 के कि.मी. 50+600 से कि.मी. 87+900 तक (झरखेड़ा बैरसिया से विदिशा मार्ग) (तहसील - विदिशा)के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित विवरण।

राज्य का नाम: मध्य प्रदेश			जिले का नाम: विदिशा		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/ हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: विदिशा					
गांव का नाम: विलोरी					
1	160	सरकारी	रास्ता	0.021	मध्य प्रदेश शासन 160
2	163	सरकारी	पहाड़	0.031	मध्य प्रदेश शासन 163
3	80	सरकारी	सड़क	0.01	मध्य प्रदेश शासन 80
4	81	सरकारी	सड़क	6.909	मध्य प्रदेश शासन 81
कुल योग				6.971	

[फा. सं. CE-RO BPL/30010/46/2018-19/3D]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th May, 2026

S.O. 2425(E).— Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Shipping Road Transport and Highways, Department of Road Transport And Highways number S.O.1064(E) Dated: 27/02/2026 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intension to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for (Widening/Four-Laning, etc.) Maintenance, management and operation of **NH-346** on the stretch of land from Km. 0+000 to K.m. 87+900 in (**Jharkheda-Berasia to Vidisha-Road**) (Tehsil-Vidisha) in the district of **Vidisha**, in the state of **MADHYA PRADESH**.

And whereas the substance of the said notification has been published in “**The Times of India**” and “**Nai Duniya**” both dated **13.03.2026** ; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas no objection has been received from any person by the competent authority.

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the **NH-346** in the stretch of land from Km. 50+600 to Km. 87+900 (**Jharkheda-Berasia to Vidisha-Road**) (**Tehsil-Vidisha**) in the district of **VIDISHA** in the state of **MADHYA PRADESH**.

State: MADHYA PRADESH			District: VIDISHA		
Sl. No.	Survey/Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Hectares)	Name of Land Owner/Interested Person
1	2	3	4	5	6
Taluk: Vidisha					
Village: Vilori					
1	160	Government	Rasta	0.021	Madhya Pradesh Government 160
2	163	Government	Pahad	0.031	Madhya Pradesh Government 163
3	80	Government	Sadak	0.01	Madhya Pradesh Government 80
4	81	Government	Sadak	6.909	Madhya Pradesh Government 81
Total				6.971	

[F. No. CE-RO BPL/30010/46/2018-19/3D]

SHAIKH AMINKHAN, Director